राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–895 / 2020

बाबूलाल सोनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव एवं कमिश्नर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
3. अति. कमीश्नर एवं संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय।
4. मैनेजिंग निदेशक, तिलम संग, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.09.2020
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री निखिल सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की सर्वप्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकार संघ लिमिटेड (तिलम संग) में वर्ष 1991 में हुई थी। विभिन्न विभागों के अधिशाषी कर्मियों को ग्राम सेवक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.08.2003 के द्वारा अपीलार्थी को जिला आवंटित किया गया था। बाद में आदेश दिनांक 12.09.2003 के द्वारा संशोधित करने के पश्चात अपीलार्थी को अजमेर जिला आवंटित किया गया। अपीलार्थी ने 16.09.2003 को जिला परिषद अजमेर में कार्यग्रहण कर लिया एवं उसे ग्राम पंचायत समिति अराई में प्रतिनियुक्ति पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने पंचायत समिति अराई के आदेशानुसार ग्राम सेवक पदेन सचिव के चतुर्थ सत्र 08.12.2003 से 14.01.2004 तक ग्राम सेवक परिक्षण केन्द्र अजमेर में ग्राम सेवक का परिक्षण प्राप्त किया। राजस्थान ब्रिवरेज निगम लिमिटेड के आदेश

दिनांक 01.04.2006 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सुपरवाईजर के पद पर लिये जाने हेतु भेजा गया। अपीलार्थी को समय–समय पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 02.10.2010 के द्वारा विभिन्न विभागों से सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवकों के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थाओं में समायोजित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 26.09.2012 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी, जो किसी कारण से पुनः प्रतिनियुक्ति पर ब्रिवरेज कॉरपोरेशन आदि में चले गए थे, को भी समायोजित करने हेतु निर्देश दिया गया। उक्त आदेशों के क्रम में अपीलार्थी को पंचायत समिति अराई में समयोजित किया जाना है, परंतु अपीलार्थी का समायोजन नहीं किया गया। अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 20.07.2020 पारित कर यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी ग्राम सेवक के पद पर समयोजन का हकदार नहीं है। उक्त आदेश दिनांक 20.07.2020 को इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का मामला परिपत्र/आदेश दिनांक 02.10.2010 के तहत आता है। उक्त आदेश अभी भी प्रभाव में है, जिसके तहत अपीलार्थी का समायोजन किया जाना है, परंतु विधि–विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 20.07.2020 पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के समान ही अन्य व्यक्तियों को, जो प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान स्टेट ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर आये थे, उन्हें समायोजित कर लिया गया है। परंतु अपीलार्थी के संबंध में भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाया गया है। इस संबंध में राम सिंह आर्य को ग्राम सेवक के पद पर समायोजित करने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम संघ) जयपुर के पत्रांक 564 दिनांक 29.04.2019 के द्वारा अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर जो कि दिनांक 05.04.2006 से राजस्थान राज्य बैवेरेज

निगम लि0 जयपुर मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है का मूल प्रार्थना पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को पंचायती राज विभाग मे शीघ्र समायोजन की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा नियुक्ति कार्मिक है तथा राज्य बैवेरेज निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है के क्रम में आदेश 1242 दिनांक 20.07.2020 में वित्त विभाग द्वारा आई.डी. क्रमांक 102002220 दिनांक 10.06.2020 में प्राप्त निर्देश में पंचायती राज विभाग के आदेश 3266 दिनांक 02.10. 2010 एवं 2874 दिनांक 26.09. 2012 के तहत अपीलार्थी ग्राम सेवक पद पर समायोजन के हकदार Entitled नहीं होने से उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है। राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम संघ) जयपुर द्वारा नियुक्त प्रयोगशाला सहायक कार्मिक है जो दिनांक 05.04.2006 से राजस्थान राज्य बैवेरेज निगम लि0 जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित है कि अपीलार्थी जिला परिषद एवं पंचायत समिति में पदस्थापित ही नही रहा उक्तानुसार अपीलार्थी की ग्राम सेवक के पद पर समायोजन की मांग अव्यवहारिक एवं अवैधानिक होने से उक्त अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाई जावे ।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये तर्कों पर विचार किया। पूर्व में दिनांक 02.10. 2010 को राज्य सरकार (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) ने यह आदेश जारी कर विभिन्न विभागों से सेकण्डमेंट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थाओं में समायोजित करने हेतु निर्देश जारी किये गए थे। अपीलार्थी को पूर्व में प्रतिनियुक्तिपर ग्राम सेवक पदेन सचिव पंचायत समिति अराई भेजा गया था परंतु बाद में अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र राजस्थान राज्य कॉर्पोरेशन लिमिटेड भेजा गया। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर ग्राम सेवक के रूप में कार्यरत नहीं था और वो प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र चला गया था। इस कारण से वो ग्राम सेवक के पद पर नियमित नहीं किया जा सकता।

4. हमारे मत में अपीलार्थी, जो कि मूल विभाग में अधिशेष हो चुका है और प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न विभागों में भेजा गया है। ऐसे में अपीलार्थी के समायोजन का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी के समान अन्य व्यक्ति राम सिंह आर्य को भी समायोजित किया गया है, तो अपीलार्थी के मामले में प्रत्यर्थी विभाग भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाना उचित नहीं है।
5. उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2020 अपास्त किया जाता है। विभाग को यह भी निर्देश दिया जाते हैं कि अपीलार्थी को ग्रामसेवक के पद पर समायोजित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)